



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
पटना-14



पत्रांक- 8 बजट (1) 19/2026-58 (नि) आ०

दिनांक- 28/09/2026

प्रेषक

श्रीकान्त शास्त्री, भा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 03 पशुपालन, 277 शिक्षा, 0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड 02-2415032770101, बजट शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 03 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड 02-2415037890101 एवं बजट शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 03 पशुपालन, 796 जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना, 0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड 02-2415037960101 के अन्तर्गत संबंधित कार्यालय के व्यय को वहन करने हेतु ₹ 16,50,00,000/- (सोलह करोड़ पचास लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या 2098 दिनांक 04.05.2026 के आलोक में निम्न तालिका के अनुसार कुल ₹ 16,50,00,000/- (सोलह करोड़ पचास लाख) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष			कुल आवंटित राशि (रु० में)
		0101.31.04- सहायक अनुदान-वेतन	0101. 31.05- सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों के निर्माण	0101. 31.06- सहायक अनुदान- गैर वेतन	
1	2	3	4	5	6
1	02-2415032770101 (सामान्य घटक)	3,30,66,000	1,65,00,000	8,68,89,000	13,64,55,000
2	02-2415037890101 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	33,00,000	56,10,000	1,74,90,000	2,64,00,000
3	02-2415037960101 (जनजातीय क्षेत्र उप योजना)	16,50,000	3,30,000	1,65,000	21,45,000
कुल योग :-					16,50,00,000
₹ 16,50,00,000/- (सोलह करोड़ पचास लाख) मात्र।					

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 03 पशुपालन, 277 शिक्षा, 0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड 02-2415032770101, बजट शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 03 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड 02-2415037890101 एवं बजट शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 03 पशुपालन, 796 जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना, 0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड 02-2415037960101 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन राज्य स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों के साथ सपोर्टिंग स्टाफ के वेतन, गैर-वेतन एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण पर होने वाले व्यय की योजना के लिये दिया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार के द्वारा BTC फॉर्म-46 के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के पीओएल खाता में अंतरित किया जायेगा।

5. संगत योजनान्तर्गत 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र का समायोजन महालेखाकार, बिहार, पटना से अवश्य करा लिया जाये।

6. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, पत्रांक 236/वि०, दिनांक 09.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं 380/वि० दिनांक 20.04.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्रों/राज्यादेश के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जायेगी।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रत्यपण प्रतिवेदन 15 मार्च 2027 तक अवश्य भेज दें।

7. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 19/2026..... 58 (अ) आ०/

पटना-15, दिनांक 28/09/2026

प्रतिलिपि- उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-टी०ए०-57-96-97-प०पा०-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम०-405/98 पार्ट-3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय राज्यादेश सं० 3374 दिनांक 25.07.2025 में अंकित अनुदेशों के अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा-09/योजना शाखा-10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।